न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 65/2024
GCMS NO. : 2024/117

–: प्रार्थीगण :

1. सुगनचन्द उर्फ दलपतराम पुत्र डायाराम
2. मनमोहन पुत्र डायाराम
3. डाली पुत्री मैनादेवी
4. भंवरीदेवी पुत्री डायाराम

जातियान–सरगरा निवासी–आसरलाई, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. कचरूलाल पुत्र पाबुराम
2. धनराज पुत्र छैलाराम
3. बंशीलाल पुत्र मोहनराम
4. शंकरलाल पुत्र जोराराम केका0मु0 4/1– माणकचन्द पुत्र शंकरलाल जातियान– सरगरा निवासीगण– आसरलाई, तहसील–जैतारण, जिला– ब्यावर राज.।
5. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 23/03/2024

उपस्थितः– 1. श्री देवाराम कटारिया, प्रार्थीगण।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/10/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 0.8984 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 607 रकबा 2.5252 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा सभी सहखातेदारान् भी आपसी परिवार के सदस्य है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वर्णित आराजी खसरान भूमि मे आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन सीमा विवाद होता रहा है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधानिक तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिला लेते है एवं अप्रार्थीगण काफी दिनो से सीमा को लेकर मौके पर विवाद कर रहे है जिस पर कई बार आर आई पटवारी एवं तहसीलदार को. सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया और कहा कि सीमा विवाद को लेकर उक्त खसरान् भूमि के नापचौंप करावे एवं सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन भी किया लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नही हो पाया तथा मौके पर विवाद होते है इसलिए उक्त खसरान् भूमि का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होने से उक्त खसरान् भूमि आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतू उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। आए दिन इस विवाद एवं सीमाज्ञान के विवाद से बचने के लिए उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान न्यायहित में करवाने हेतू एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक भू-प्रबन्धक, जैतारण (ब्यावर)

पटवारी हल्का आसरलाई को दिनांक 01/03/2024 को पेश किया लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार से कोई सीमाज्ञान नही होने से मजबूरन उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उक्त खसरान् भूमि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई मे स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 4/1 तक बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के व बार-बार आवाजें दिलाई जाने के बाद अनुपस्थित रहें। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार, जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा0मि0 है। तहसीलदार, जैतारण ने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि राजस्व ग्राम आसरलाई के राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण ग्राम आसरलाई के खसरा नंबर 606 रकबा 0.8984 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 607 रकबा 2.5252 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के रेकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम आसरलाई के खसरा नंबर 606 रकबा 0.8984 हैक्टर, खसरा नंबर 607 रकबा 2.5252 हैक्टर के पास ही अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 608 रकबा 0.5099 हैक्टर एवं खसरा नंबर 609 रकबा 0.4047 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दर्ज करवाने के लिए बेबुनियाद तथ्य दर्ज किये है वादीगण अपनी खातेदारी भूमि 607 व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि 608 रकबा 0.5099 हैक्टर के बीच की माठ का सीमांकन व पतथरगढ़ी करवाना चाहते है जो श्रीमान के श्रैत्राणिकार में है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम आसरलाई तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 606 रकबा 0.8984 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 607 रकबा 2.5252 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम खातेदार है। एवं तहसीलदार, जैतारण ने भी जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 607 व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 608 के बीच का मांठ का सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थीगण की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होनें से विवाद होनें से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम-आसरलाई तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

07 रकबा 0.8984 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 608 रकबा 0.5099 हैक्टेयर के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 22/10/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)